न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी — श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या— आरटीए/278/2017

उनवान

1. धन्ना पुत्र श्री दुदा जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज) मृतक के बजाय :—
1/1— श्रीमती सरजू बेबा धन्ना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी—गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज) मृतक के बजाय
1/1(1)— रामू पुत्री श्री धन्ना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी— सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/2— रामू पुत्री श्री धन्ना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी— सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/3— रामदयाल पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी—सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/4— मुकेश पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/5— राजु पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी— सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/6— देवकिशन पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी—सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/7— गुडडी पुत्री श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी—सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
1/8— अनिता पुत्री श्री जयराम जी जाति जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता अपीलार्थीया स. 1/2 रामू पुत्री श्री धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
2. जमनालाल पुत्र श्री लक्ष्मण जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी—गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
3. सत्यनारायण पुत्र श्री लक्ष्मण जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी—गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती तुलछी पत्नि श्री तुलछा जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी— एकलिंगपुरा, तहसील—माण्डल, जिलाभीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाडा

.....रेस्पोडेण्ट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 87/2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2017

अभिभाषक :

1. श्री रामेश्वर लाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 9.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गनेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी स्थित है। जिस पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कमशः आधा–आधा हिस्सा है और इसी अनुसार कब्जा चला आ रहा है। आराजियात का विवरण निम्न प्रकार है :–

आराजी नम्बर	रकबा
134/2	00 बीघा 05 बिस्वा
270/1	07 बिस्वा
271/1	09 बिस्वा
373	04 बीघा 02 बिस्वा
689/1	02 बीघा 00
795/1	17 बिस्वा
1008/1	19 बिस्वा
1016/1	01 बीघा 00
1017/1	04 बिस्वा
1020/1	08 बिस्वा
1039/1	09 बिस्वा

कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा

2. वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई बहन है। वाद पत्र की पेरा नम्बर 1 में अंकित आराजियात जो कि मोरूसी है , को प्रतिवादी संख्या 1 नें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जी दूदा जी के शांत होने के पश्चात अकेले अपने नाम पर दर्ज करा ली । इसकी जानकारी वादिया को नहीं होने दी ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जबकि वादिया का भी उक्त आराजियात पर वादिया के पिता के देहावसान के बाद से ही कब्जा चला आ रहा है और उस नाते वादिया वाद पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का आधा हिस्सा अपने नाम पर दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

3. वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा संयुक्त खातेदार की हैसियत से वादिया का नाम दर्ज कराने के लिए कहा लेकिन उसके द्वारा इंकार कर देने व लडाई झगडा करने पर उतारू होने से आज से करीब 20 दिन पूर्व यानि अंतिम दिनांक 2.3.97 को वादिया के नाम पर संयुक्त खातेदारी अधिकार से नाम दर्ज कराने के लिए कहा व उसके द्वारा इंकार कर देने से वादी का यह वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हे।

4. अतः निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा संख्या 1 में अंकित आराजियात में वादिया का प्रतिवादी संख्या एक के साथ संयुक्त खातेदार अधिकार की घोषणा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जावे।

5. वाद पत्र के पेरा संख्या 1 में अंकित आराजियात का आधा हिस्सा वादी के नाम पर व आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित कर पानडी अलग अलग दर्ज कराने हेतु वादिया के पक्ष में डिकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी द्वारा वादी का वाद पत्र 4.5.2017 को स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय/डिकी की जानकारी नही थी व अपीलार्थीगण को दिनांक 28.04.2017 की तारीख पेशी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी व अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी जरूरत पड़ेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली, हाल ही में दिनांक 28.06.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा मौके पर आकर जमीन पर कब्जा करने व दावा जीत जाने की बात कही, इस पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की व नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 29.08.2017 को पेश किया व नकल दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त हुई तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन निर्णय / डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने में हुई देरी के समय को क्षम्य किया न्यायोचित एवं आवश्यक है।

9. अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

10. अतः निवेदन है कि अपीलांट्स का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने में हुई देरी के समय को क्षम्य किया जावें।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि खातेदार दूदा जाट की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व मृत्यु हो गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व पुत्री को पिता की सम्पति मे अधिकार नहीं था, इस प्रकार वादीया तुलछी का वादग्रस्त आराजियात मे कोई हक हिस्सा नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया को अपने पिता की सम्पति का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोंषित कर भारी भूल की गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 06 का निस्तारण भूलवश गलत किया है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब में लिखा कि खातेदार धन्ना की मृत्यु सन् 1955 से पूर्व हुई है और अधिनस्थ न्यायलाय ने दूदा की मृत्यु के बारे मे विवेचन नहीं कर धन्ना की मृत्यु 1955 के बाद होना माना, इस कारण अधिनस्थ न्यायलाय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पर करीब 60 वर्षों से प्रतिवादी संख्या 01 धन्ना बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजियात पर कब्जे और खातेदारी अंकन की वादीया को शुरू से ही जानकारी थी, वाद बैरून मियाद होते हुए भी वादीया का वाद डिकी कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 21.07.2016 की पेशी वादी के गवाह की जिरह हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नियत थी, इस पेशी पर प्रतिवादी की जिरह का अवसर बंद कर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.07.2016 नियत की गयी, दिनांक 25.07.2016 को आदेश पारित कर दिया गया, इस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष ऐतराज किया कि प्रतिवादी को साक्ष्य एंव बहस का अवसर ही नही दिया और आदेश कैसे पारित कर लिया, इस पर पीठासीन अधिकारी ने ऑर्डरशीट में कांटाफांसी कर दिनांक 27.07.2016 की पेशी वास्ते बहस हेतु नियत की। प्रतिवादी संख्या 01 को साक्ष्य बंद होने की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 30.09.2016 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि मुझे वादी की साक्ष्य से जिरह का अवसर दिया जाय, प्रतिवादी को दिनांक 28.04.2017 की पेशी की कोई जानकारी ही नही थी, प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थनापत्र दिनांक 30.09.2016 की बहस सुनना और वाद की बहस सुनना दर्शा कर निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने न तो प्रार्थनापत्र की बहस की और न ही वाद की बहस की, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यो की भूल कर निर्णय पारित किया, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये गये व बिना किसी प्रकार से सुने उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नही कर, उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

16. अतः निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिकी दिनांक 04.05.2017 को अपास्त किया जावे ।

17. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और माकूल कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह पर्याप्त नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

खारिज कर अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

18. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट / पादीया ने एक वादपत्र ग्राम गणेशपुरा, तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 134/2, 270/1, 271/1, 373, 689/1. 795/1. 1008/1, 1016/1, 1017/1, 1020/1, 1034/1 कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो पैतृक पुश्तैनी आराजियात है जो आराजी वादीया रेस्पोडेन्ट के पिता दुदा जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से नाम दर्ज होना चाहिए परन्तु वादीया रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज नहीं हुआ इसलिये वादीया ने खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त आराजियात में वादीया का 1/2 हक व हिस्सा अधिकार बनता है।

19. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि काश्तकारी अधिनियम व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पैतृक पुश्तैनी आराजियात में एवं उसकी खातेदारी आराजियात में मृत्यु के बाद विरासत से उसके सभी विधिक प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्र पुत्रियों के नाम नामान्तरण खोले जाने का प्रावधान किया है। विधि के अनुसार सभी वारिसान का नाम दर्ज होना चाहिए परन्तुत दुदा जी की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट वादीया का नाम दर्ज नहीं हुआ जबकि रेस्पोडेन्ट वादीया पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर तनकी बनाकर साक्ष्य लेकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वैद्य एवं विधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

20. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादीया दुदाजी की पुत्री है व अपीलार्थी/ प्रतिवादी धन्ना की बहन है इसलिये रेस्पोडेन्ट वादीया का हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी/अपीलार्थी ने उक्त आराजियात को पैतृक होना स्वीकार किया है और रेस्पोडेन्ट वादीया को धन्ना जी की बहन एवं दुदा जी की पुत्री होना स्वीकार किया है।

21. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादीया ने अधिनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय में दुदा जी के खाते की जमाबन्दी प्रदर्श–8, एवं जमाबन्दी प्रदर्श–7 दस्तावेज प्रस्तुत कर आराजियात पैतृक पुश्तैनी होने की साबित की है और धन्ना ने वसीयत के आधार पर आराजियात रामू व सरजू रेस्पोडेन्ट/वादीया के पक्ष में निष्पादित की है। इसलिये धन्ना के हिस्से की आराजियात का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है जिससे वादीया का 1/2 हक हिस्सा बनता है। धन्ना की मृत्यु दिनांक 11.04.1997 को हुई जो काश्तदारी एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हुई इसलिये वादीया 1/2 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी होने से अधिनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार दोनों पक्षो को सुनकर, तनकीयात कायम कर विस्तृत साक्ष्य लेकर पूर्ण विवेचन कर विधि अनुसार निर्णय एवं डिकी पारित की है। इसलिये अपील अपीलार्थी खारित किये जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

22. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट / वादीया ने अधिनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना वादपत्र साबित किया है और वादीया रेस्पोडेन्ट का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार बनता है जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की अपील सारहीन, आधारहीन होने से खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने वाद विचारण ही अपीलार्थीगण ने उक्त आराजियात को जमना लाल व सत्यनारायण जाट को विक्रय कर दी जो दौराने वाद विक्रय करने से धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत अवैध एवं शुन्य है और अधिनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुए भी गलत तरीके से उक्त आराजियात विक्रय की है जिससे केता को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है तथा रेस्पोडेन्ट/वादीया के हक हिस्से तक अपीलार्थी जमना व सत्यनारायण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिये अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

24. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुए भी आराजियात को विक्रय कर दिया परन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी और केता को पक्षकार नहीं बनाया तथा अपील भी प्रतिवादी स्वयं द्वारा की गयी अपील में भी सन् 2017 से 2025 तक तथ्य को छिपाये रखा, सन् 2025 में आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बने है। अपीलार्थी संख्या 02 जमना लाल एवं अपीलार्थी संख्या 03 सत्यनारायण को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार रेस्पोडेन्ट/वादीया के हक हिस्से तक के सम्बन्ध में कानूनन प्राप्त नही होते है और रेस्पोडेन्ट/वादीया के 1/2 हिस्से की आराजियात को विक्रय करने का अपीलार्थी को कोई हक अधिकार नही होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

25. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने वाद विचारण आराजियात का विकय करने का प्रतिवादी अपीलार्थी को कोई हक अधिकार नही था, विधि विरुद्ध जाकर रेस्पोडेन्ट/वादीया को उनके हक हिस्से से महरूम करने की नियत से बिना किसी हक अधिकार के अपीलार्थी / प्रतिवादी ने आराजियात विकय की जो विकयपत्र ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने से विकयपत्र अवैध एवं शुन्य निष्प्रभावी होता है। इसलिये अपील खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

26. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रतिवादी ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट/वादीया दुदा की पुत्री है और धन्ना की बहन है। दुदा जी की मृत्यु के बाद गलत तौर से तथ्य को छिपाकर धन्ना अकेले के नाम नामान्तरण खोल दिया जबकि धन्ना अकेला वारिस नही होकर रेस्पोडेन्ट/वादीया भी दुदा जी की विधिक वारिस थी। जिससे रेस्पोडेन्ट/वादीया का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने सही विवेचन कर विधि अनुसार निर्णय एवं डिकी पारित किया जो वैद्य एवं विधि अनुसार होने से अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

27. अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी सारहीन होने से एवं ठोस तथ्यों पर आधारित नही होने से और अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी वैद्य एवं विधि अनुसार होने से अपील खारिज की जावें।

28. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय/डिकी की जानकारी नही थी व अपीलार्थीगण को दिनांक 28.04.2017 की तारीख पेशी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी व अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी जरूरत पड़ेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली, हाल ही में दिनांक 28.06.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा मौके पर आकर जमीन पर कब्जा करने व दावा जीत जाने की बात कही, इस पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की व नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 29.08.2017 को पेश किया व नकल दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त हुई तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन निर्णय / डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने में हुई देरी के समय को क्षम्य किया न्यायोचित एवं आवश्यक है।

29. अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

30. अतः निवेदन है कि अपीलांट्स का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने में हुई देरी के समय को क्षम्य किया जावें।

31. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

32. पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन , अध्ययन व मिलान किया गया । प्रत्यर्थी की लिखित बहस का मनन किया गया । रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसका मनन किया गया । रेकार्ड अनुसार प्रकरण में विचाराधीन आराजी पैतृक थी एवं पिता की विरासत में बहन को विरासत के अधिकारों से वंचित किया गया है जबकि वह पिता की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वारिस थी। अकेले भाई धन्ना के नाम खाता कायम कर दिया गया । प्रकरण में प्रथम दृष्टया ही दूदा के दो जायन्दा वारिस थे धन्ना व तुलछी, बहिन होना साबित है। पक्षकारों को उचित अवसर दिया गया है। जवाब के आधार पर तनकियात कायम की गई है। विधिवत सुनवाई होकर तनकीवार विस्तृत विश्लेषण एवं प्रत्येक तनकी का स्पष्ट मत प्रतिपादित करते हुए निर्णय पारित किया गया है। सभी तनकियों का विधिवत विस्तृत विवेचन कर निस्तारण किया गया । इस प्रकार साक्ष्य के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधिक है। हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2017 को यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

33. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 9.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/278/2017

उनवान

1. धन्ना पुत्र श्री दुदा जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज) मृतक के बजाय :–

1/1– श्रीमती सरजू बेबा धन्ना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी–गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज) मृतक के बजाय

1/1(1)– रामू पुत्री श्री धन्ना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/2– रामू पुत्री श्री धन्ना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/3– रामदयाल पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी–सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/4– मुकेश पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/5– राजु पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/6– देवकिशन पुत्र श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी–सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/7– गुडडी पुत्री श्री जयराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी–सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

1/8– अनिता पुत्री श्री जयराम जी जाति जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता अपीलार्थीया स. 1/2 रामू पुत्री श्री धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)

2. जमनालाल पुत्र श्री लक्ष्मण जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी–गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
3. सत्यनारायण पुत्र श्री लक्ष्मण जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी–गणेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती तुलछी पत्नि श्री तुलछा जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी– एकलिंगपुरा, तहसील–माण्डल, जिलाभीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाडा

.....रेस्पोडेण्ट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 87/2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2017

अभिभाषक :

1. श्री रामेश्वर लाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/278/2017 मे उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:—

यह अपील तारीख 9.2.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रामेश्वर लाल जाट वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश सुराणा की उपस्थिति मे दिनांक 9.2.2026को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2017 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 9.2.2026को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस